Reliance
Industries Limited
Growth is Life

पंजीकृत कार्यालय: ३री मंजिल, मेकर चेंबर्स ४, २२२, नरीमन पॉइंट, मुंबई – ४०० ०२१
फ़ोन: +९१–२२–३५५५ ५००० • फ़ैक्स: +९१–२२–२२०४ २२६८ • ई–मेल: investor.relations@ril.com
CIN: L17110MH1973PLC019786

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए)

विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण में हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और धन वापसी) नियम, २०१६, और इसके संशोधनों (''नियम'') के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (''आईईपीएफ'') प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

नियमों में बताई गयी विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कंपनी अभी तक संबंध नियत तिथियों पर आईईपीएफ प्राधिकरण को सभी ऐसे शेयर्स हस्तांतरित कर चुकी हैं, जिनके वित्त वर्ष २०११–१२ या उसके पहले के लाभांश का भुगतान लगातार सात या अधिक वर्षों से बकाया है या उनपर कोई दावा नहीं किया गया है। कंपनी ने दिनांक १२ जून, २०२० के अपने पत्र के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को उचित कारवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है, जिनके शेयर वित्त वर्ष २०२०–२१ में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले हैं।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट **www.ril.com** पर अपलोड कर दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बेदावा लाभांश के विवरण और शेयर्स जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वेब लिंक **http://www.ril.com/InvestorRelations/ ShareholdersInformation.aspx** देखें।

शेयरधारक ध्यान दे कि नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, शेयरधारक बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, तो आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा कर सकते हैं।

संबंधित शेयरधारक, जो फिजिकल रूप में शेयर्स धारण करते है और जिनके शेयर्स आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर–परक्राम्य मान लिए जाएंगे। शेयरधारक आगे ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरण को इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले नये शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

नियमों के प्रावधानों के अनुसार, और कोविड–१९ संबंधी लॉकडाउन के कारण आईईपीएफ़ प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए, सामान्य परिपत्र नं. १६/ २०२०, दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, **के हवाले से यदि कंपनी १५ सितंबर, २०२० या उससे पहले संबंधित शेयरधारकों से कोई भी संवाद (बेदावा लाभांश/न भुनाया हुआ लाभांश) प्राप्त नहीं करती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के दृष्टिकोन के साथ, कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से शेयरों को डीमटेरियलाइज़ कर आईईपीएफ़ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी।**

यदि शेयरधारकों को इस विषय पर या नियमों पर कोई प्रश्न है तो वे, श्री एस. पी. वेणुगोपाल, जनरल मैनेजर, **केफ़िन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड,** कंपनी के रेजिस्ट्रार्स और ट्रांसफर एजंट्स से, पता: सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१–३२, गचिबोवली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – ५०० ०३२, टेली: + ९१–४०–६७१६ १७००, फ़ैक्स: + ९१–४०–६७१६ १६८०, टोल फ्री नं.: १८००–४२५–८९९८. (सुबह ९:०० बजे से शाम ६:०० बजे), ई–मेल: rilinvestor@kfintech.com, वेबसाइट: www.kfintech.com, यहां संपर्क करें।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरी/–
के. सेथुरामन
ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी और
चीफ कंप्लायन्स ऑफीसर

स्थान : मुंबई
दिनांक : ०३ अगस्त, २०२०